303 (8) विभागीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्यालय के भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना

उपर्युक्त विषय पर मुझे गृह मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 28.8.1986 के पत्र सं. 15/8/86–सार्वजनिक (पब्लिक) की एक प्रति इस ज्ञापन के साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। अनुरोध है कि गृह मंत्रालय के उपर्युक्त पत्र में निहित अनुदेशों का पालन किया जाए तथा इन अनुदेशों के कार्यान्वयन पर एक रिर्पार्ट लोक उद्यम ब्यरों को सूचित करते हुए सीधे गृह मंत्रालय को प्रेषित करें।

विभागीय/सरकारी उपक्रमों के कार्यालय के भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के संबंध में गृह मंत्रालय के तारीख 28.8.1986 के पत्र सं. 15/8/86–पब्लिक की प्रति।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज को विभागीय/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के कार्यालय के भवनों पर भी फहराने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में ध्वज कोड में भारत में निम्नानुसार संशोधन किया गया हैः–

ध्वज कोड–भारत के खंड **X** उप खंड 10.1 में वर्तमान प्रविष्टि (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, यथाः–

''सामान्यतः राष्ट्रीय ध्वज को महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों जैसे उच्च न्यायालयों, सचिवालयों, आयुक्त कार्यालयों समाहर्तालयों, जेलो, और जिला परिषदों के कार्यालयों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों और विभागीय/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर फहराया जाना चाहिए।

अनुरोध है कि उपर्युक्त संशोसन को सभी संबंधित प्राधिकारियों की जानकारी में लाया जाए और उपर्युक्त अनुदेशों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट 30 नवंबर, 1986 तक इस मंत्रालय को भेजी जाए।

(लोक उद्यम ब्यूरो का दिनांक 22.5.1987 का का.ज्ञा.सं. 16(38)/87–जी एम)